भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

सं.हिंदी-2023/प्र.-7/4

नई दिल्ली, तिथि: 5 .04.2024

महाप्रबंधक (राजभाषा)
मध्य रेलवे, मुंबई
पूर्व रेलवे, कोलकाता
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे, गुवाहाटी
दक्षिण रेलवे, चेन्नै
दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
पश्चिम रेलवे, मुंबई
उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज
उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर
पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर

महाप्रबंधक (राजभाषा)
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण)
मेट्रो रेलवे, कोलकाता
रेल विद्युतीकरण, प्रयागराज
बरेका, वाराणसी
सडिका, चेन्नै
रेडिका, कपूरथला
चिरेका, चित्तरंजन
रेपका, बेंगलूरू
आ.रे.डि.का., रायबरेली

निदेशक
जगजीवन राम रेसुब अकादमी, लखनऊ.
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, नई दिल्ली.

महानिदेशक
भा.रे.रा.अकादमी, वडोदरा
अ.अ.मा.सं., लखनऊ
इरिसेन, पुणे
इरिमी, जमालपुर
इरिसेट, सिकंदराबाद
इरिएन, नासिक रोड
इरिटिम, लखनऊ

प्रबंध निदेशक
भा.रे.वि.नि., नई दिल्ली
डी.एफ.सी.सी.आई.एल, नई दिल्ली
क्रिस, नई दिल्ली

प्रधान सचिव
भारतीय रेल सम्मेलन, नई दिल्ली

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
कोंकण रेलवे, मुंबई
रे.वि.नि.लि., नई दिल्ली
कॉनकॉर, नई दिल्ली
इरकॉन, नई दिल्ली
राइट्स, गुरूग्राम
रेलटेल, नई दिल्ली
आईआरसीटीसी, नई दिल्ली

प्रधान मुख्य प्रशा. अधिकारी
पटियाला रेलइंजन कारखाना, पटियाला
कॉफमो, नई दिल्ली

रजिस्ट्रार
रेल दावा अधिकरण, नई दिल्ली

विषय : हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-ग़ज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना - **आधार वर्ष 2023.**

रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरूचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, रेल मंत्रालय की हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-ग़ज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजनाएं लागू हैं।

मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है:-

क्रमांक	विधा	पुरस्कार	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार राशि
(i)	कथा/कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य	प्रेमचंद पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	20,000/-रु. 10,000/-रु. 7,000/-रु.
(ii)	काव्य/ग़ज़ल संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	20,000/-रु. 10,000/-रु. 7,000/-रु.

आधार वर्ष-2023 की इन दोनों योजनाओं हेतु विभिन्न रेलों आदि से प्रविष्टियां आमंत्रित की जाती हैं। इन योजनाओं से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न हैं।

कृपया इन योजनाओं का अपनी रेलवे आदि में व्यापक प्रचार करें ताकि अधिकाधिक रेल अधिकारी/कर्मचारी इन योजनाओं की ओर आकर्षित हो सकें। सभी प्रविष्टियां बोर्ड कार्यालय को प्रधान कार्यालय के माध्यम से 31.07.2024 तक सहायक निदेशक (राजभाषा), कमरा नंबर 316, कॉफमो बिल्डिंग, रेल कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002 को भिजवाई जाएं।

5/4/24

रिसाल सिंह
संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

संलग्नक: यथोक्त

प्रतिलिपि: बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग तथा दया बस्ती, नई दिल्ली में स्थित कार्यालयों में कार्यरत बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रोफार्मा

प्रेमचंद/मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना

1. (क) लेखक का नाम (द्विभाषी रूप में) :
   (ख) पदनाम :
   (ग) कार्यालय का नाम और पता :

2. पुस्तक का नाम :

3. पुस्तक का विषय :

4. प्रकाशक का नाम व पता (यदि कोई हो) :

5. पुस्तक लिखने का कार्य पूरा करने की तारीख (माह-वर्ष) :

6. पृष्ठों की संख्या :

घोषणा-पत्र

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मेरी मौलिक रचना है और इसे किसी अन्य पुरस्कार योजना के अंतर्गत या उपर्युक्त योजना के अंतर्गत पहले कभी पुरस्कृत नहीं किया गया है. यह पुस्तक पुरस्कार वर्ष से पिछले तीन वर्ष के दौरान पहली बार लिखी गई अथवा प्रकाशित की गई है और इससे किसी दूसरे के कॉपीराइट अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है.

लेखक के हस्ताक्षर

पूरा नाम :

कार्यालय का पूरा पता :

रेलवे फोनः

दिनांक:

मोबाइल नं.:

स्थान :

ई-मेल:

फैक्स नं. :

*****

कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य-गजल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार पुरस्कार एवं प्रशस्ति-पत्र दिए जाएंगे:-

क्रमांक	विधा	पुरस्कार	पुरस्कारों का विवरण	पुरस्कार राशि
(i)	कथा/कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य	प्रेमचंद पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2.द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	20,000/-रू 10,000/-रू 7,000/-रू
(ii)	काव्य/गज़ल संग्रह	मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार	1.प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3.तृतीय पुरस्कार	20,000/-रू 10,000/-रू 7,000/-रू

2. कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए प्रेमचंद पुरस्कार और काव्य, गज़ल संग्रह के लिए मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार दिया जाएगा।

3. पुरस्कार पाने की पात्रता रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) में इस प्रयोजन के लिए गठित मूल्यांकन समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। मूल्यांकन समिति के संयोजक निदेशक, राजभाषा होंगे तथा रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के दो नामित सदस्य होंगे। रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अस्तित्व में न होने की स्थिति में, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, किन्ही अन्य विद्वानों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं।

4. केवल सेवारत रेलकर्मी ही इन योजनाओं में भाग लेने के पात्र होंगे।

5. जिस पुस्तक/कृति को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाए, वह पुस्तक पुरस्कार वर्ष (आधार वर्ष) से पिछले तीन वर्षों में लिखी (टंकित प्रति) अथवा प्रकाशित हुई होनी चाहिए। उदाहरणार्थ: **यदि आधार वर्ष 2022 के लिए प्रविष्टियां मांगी गई हों, तो इस योजना में पुस्तक भेजने के लिए उसका लेखन कार्य अथवा प्रकाशन कार्य 01.01.2020 से 31.12.2022 तक पूरा हुआ होना चाहिए, तभी इसे स्वीकार किया जाएगा।**

6. पुस्तक लेखक की पूर्णत: मौलिक कृति होनी चाहिए। किसी अन्य भाषा से ली गई, अनूदित/संपादित अथवा इंटरनेट से डाउनलोड/कॉपी की गई पुस्तकों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. भेजी गई प्रविष्टि को पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के किसी प्रशासन की किसी योजना के अंतर्गत पुरस्कार प्राप्त न हुआ हो।

11/8/23

8. प्रत्येक योजना में एक लेखक/कवि एक समय पर केवल 01 ही पुस्तक भेज सकता है।

9. इन योजनाओं के अंतर्गत एक लेखक/कवि को उनकी पुस्तक/कृति के लिए पूरे सेवाकाल में अधिकतम दो बार ही पुरस्कृत किया जाएगा।

10. इन योजनाओं के तहत भिजवाई जाने वाली पुस्तक/कृति प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक बोर्ड कार्यालय में निरपवाद रूप से पहुँच जानी चाहिए। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली प्रविष्टियों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. इस नियमावली में आवश्यक या अपेक्षित परिवर्तनों/संशोधनों/समावेशों आदि के लिए रेलवे बोर्ड का अधिकार सुरक्षित होगा।

12. पुस्तक सामान्यतः 100 पृष्ठों से कम नहीं होनी चाहिए।

13. पुरस्कृत पुस्तक की 20-20 प्रतियां प्रत्येक रेल तथा 2-2 प्रतियां प्रत्येक उत्पादन इकाई द्वारा अपने-अपने हिंदी पुस्तकालयों के लिए खरीदे जाने की परिपाटी है। इन पुस्तकों की खरीद पर धनराशि की व्यवस्था रेल प्रशासनों द्वारा पुस्तकालयों के लिए आबंटित बजट राशि में से की जाएगी।

14. पुरस्कार प्रदान किए जाने या पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

15. लेखक को पुस्तक की 02 मुद्रित अथवा 02 टंकित प्रतियां भेजने के साथ-साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी और घोषणा पत्र भरकर सहायक निदेशक (राजभाषा), कमरा नं. 316, कॉफमो बिल्डिंग, रेल कार्यालय परिसर, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली-110002 को भेजना होगा।

16. ये संशोधन आधार वर्ष-2022 से लागू होंगे।

*****

11/8/23